



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देने वाले एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹35,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं० 131/2011 धारा-452,354,323,504,506 भा०द०सं० व 3(1)11,3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र जगदीश प्रसाद नि० ग्राम बरहरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹35,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ सरीला मनीष
चन्द्र सोनकर



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे०का० मनोज कुमार